केन्द्रीय बजट 2024-25

ग्रामीण भारत में सतत विकास का ब्लूप्रिंट

-सतीश सिंह

ग्रामीण भारत में विकास के लिए सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का निरंतर विकास ज़रूरी है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इस दृष्टि से कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जो सतत ग्रामीण विकास में सहायक होंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा 47 प्रतिशत आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। ग्रामीण भारत में निरक्षरता, जातिगत समस्या, लैंगिक भेदभाव, किसानों की बाज़ार तक सीमित पहुँच, अनाज भंडारण की कमी, बिचौलियों का वर्चस्व, वित्तीय जागरूकता की कमी आदि समस्याएं बनी हुई हैं तथा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, पेयजल, संचार व्यवस्था, बिजली आदि की अनुपलब्धता इस स्थिति को और बदतर बना रही है। आज किसान खेती से अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। छद्म रोज़गार की स्थिति भी बनी हुई है, यानी जो काम एक व्यक्ति कर सकता है, उसे कई लोग मिलकर करते हैं। चीनी, चावल, जूट आदि विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कई उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सहजता से नहीं हो पा रही है, क्योंकि गाँवों में बुनियादी ढांचे का अभाव है और वहां औद्योगिक इकाइयों की संख्या भी कम है।

विकल्पों के अभाव में ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि में कम लाभ के कारण उनकी आय कम है। वित्त वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 18.10 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर लगभग 15 प्रतिशत रह गया। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण इसमें और कमी आने की आशंका है। जीडीपी में कृषि का योगदान तभी बढ़ सकता है जब ग्रामीण भारत में सतत विकास सुनिश्चित किया जाए।

लेखक भारतीय स्टेट बैंक के अहमदाबाद मंडल के स्थानीय प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (शिक्षण एवं विकास) के पद पर कार्यरत हैं। ई-मेल : singhsatish@sbi.co.in

हमने आज़ादी के 100वें साल यानी 2047 तक अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। इसलिए बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनकी मदद से देश में मौजूद क्षेत्रीय असमानता और आय असमानता को कुछ हद तक पाटा जा सकता है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, व्यापार करने में आसानी, ग्रामीण और शहरी विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे आदि को मज़बूत करके इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

बजट का विषय और आगे की राह

इस वर्ष के बजट का विषय गरीब, महिला, युवा और किसान है और इसके अनुसार कृषि क्षेत्र को उत्पादनोन्मुख बनाने, रोज़गार सृजन में तेज़ी लाने, महिलाओं को सशक्त बनाने आदि पर ज़ोर दिया गया है। साथ ही, विकास की गति को तेज़ करने के लिए निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता, सुदृढ़ीकरण, नवाचार और अनुसंधान आदि सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रावधान

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें बजटीय सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्र को मज़बूत किया जा सकता है। इसलिए बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत काम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना काल में ग्रामीण युवाओं को मनरेगा के तहत रोज़गार उपलब्ध कराया गया, जिससे वे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सफल रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार अगले 5 साल में किफायती दरों पर घर बनाने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता देगी। सरकार 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश भी करेगी। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस पहल से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर अपना घर मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों को मुख्यधारा में तभी लाया जा सकता है जब उनके पास घर, आजीविका के साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हों।

50 प्रतिशत से भी कम आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। इसलिए जल जीवन मिशन का महत्व अतुलनीय है। इसके तहत हर घर में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर में पीने का पानी पहुँचाने के उद्देश्य से 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि सभी लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा सके। जल जीवन मिशन के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है जो पिछले बजट से थोड़ा अधिक है। लेकिन इसके महत्व को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं कही जा सकती।

नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 4 अगस्त 2021 को की गई थी, जिसके तहत प्री-नर्सरी से 12 वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। चूंकि, यह लक्ष्य अभी अधूरा है। इसलिए, पूरे देश में समग्र शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बजट में 37,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, क्योंकि केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही उत्पादकता में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। सरकार ने इस पहल के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे वे घर और समाज में खुशहाली और समृद्धि ला सकेंगे।

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पोषण सामग्री एवं

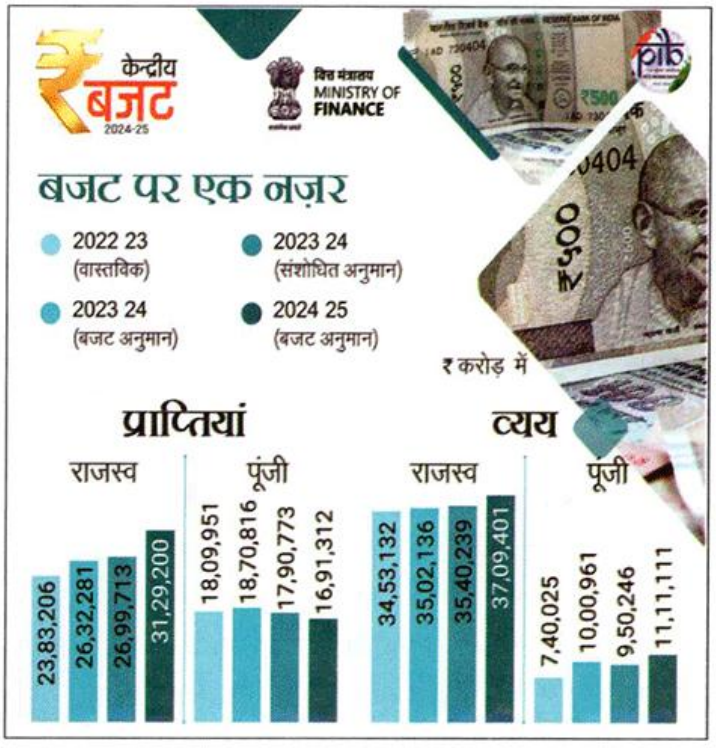

Khadi India

व्यवसायों को जीवन बदलने देना पीएमईजीपी का मूल उद्देश्य है

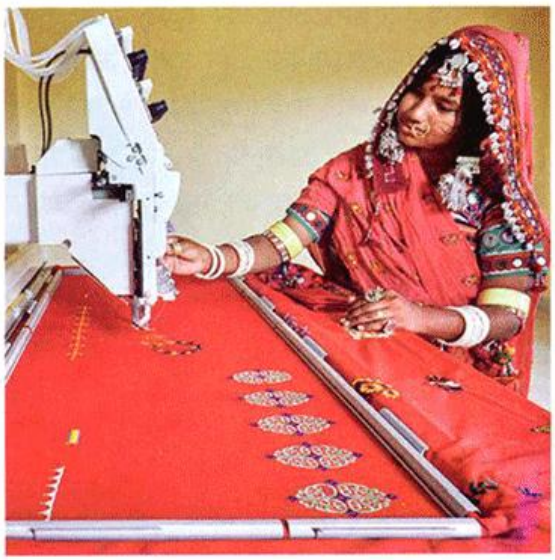

वितरण में रणनीतिक परिवर्तन के माध्यम से बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण एवं अन्य गंभीर बीमारियों से बचाना है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इसकी सहायता से स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए स्थिति में सुधार के लिए बजट में 21,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

भारत में खेती आज भी मानसून पर निर्भर है। देशभर में एक समान सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, किसानों की फसलें कभी बाढ़ तो कभी सूखे से बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में फसल बीमा का महत्व बढ़ जाता है। मुश्किल वक्त में बीमा किसान के लिए संजीवनी का काम करता है। जिन किसानों ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ले रखा है, उनकी फसलों का बीमा बैंक करा देता है, लेकिन जिन्होंने बैंक से ऋण नहीं लिया है, उन्हें अपनी फसलों का बीमा खुद कराना पड़ता है। संकट के समय किसानों को आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने फसल बीमा योजना में 14,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को की गई थी। यह अभियान लोगों को हर साल 100 घंटे श्रमदान करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हर शहर और हर गाँव को साफ रखा जा सके। देशभर में साफ-सफाई बनाए रखने से स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आ सकती है, क्योंकि गंदगी बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर, 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग या ऐसा परिवार जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है या जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है या पीएमजेएवाई लाभार्थी सूची में सूचीबद्ध हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह समाज के वंचित या कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए समर्पित है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें, सरकार ने बजट में 7,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। पीएमईजीपी की शुरुआत 2008 में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर की गई थी। यह एक ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना है, जिसकी निगरानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य नए स्वरोज़गार से जुड़े उपक्रमों, लघु उद्यमों और परियोजनाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर पैदा करना और लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण युवाओं का पलायन रोकना है। इस योजना

को समर्थन देने के लिए बजट में 2,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी, जिसके तहत गाँवों की कच्ची सड़कों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ा गया था। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत छोटे-बड़े गाँवों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है और इसे मूर्त रूप देने के लिए बजट में 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बैंक असंगठित क्षेत्र के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें वित्तपोषित कर रहे हैं, ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। सरकार ने इस योजना के समेकन के लिए 4,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

किसान फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिसमें किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसलिए किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने यूरिया की खरीद में 1.19 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया है, जो एक प्रकार का उर्वरक है, जिसका उपयोग भारत में किसान अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।

हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा एक दिन का भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 1 जनवरी, 2024 से अगले 5 वर्षों तक उनकी पात्रता के अनुसार 35 किलोग्राम और 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सड़क निर्माण में 1.15 लाख करोड़ रुपये और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा, यानी वहां भी कुछ हज़ार किलोमीटर सड़क बनेगी। गाँवों में कनेक्टिविटी होने से सब्जियां या अनाज समय पर बाजार पहुँच सकेंगे और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा।

कौशल उन्नयन पर ज़ोर

भारत में बेरोज़गारी का एक मुख्य कारण युवाओं में कौशल की कमी है। अगर वे कुशल होंगे तो उन्हें रोज़गार की समस्या नहीं होगी। इसलिए बजट में युवाओं के कौशल उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया है और 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे । सरकार की इस पहल से युवाओं को या तो रोज़गार मिलेगा या फिर वे स्वरोज़गार के ज़रिए आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

बजट में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब में उन्नत करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित श्रमिकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा कौशल उन्नयन के साथ-साथ श्रमिकों की उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सके। इस पहल से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन एवं लाभ में वृद्धि होने की संभावना है।

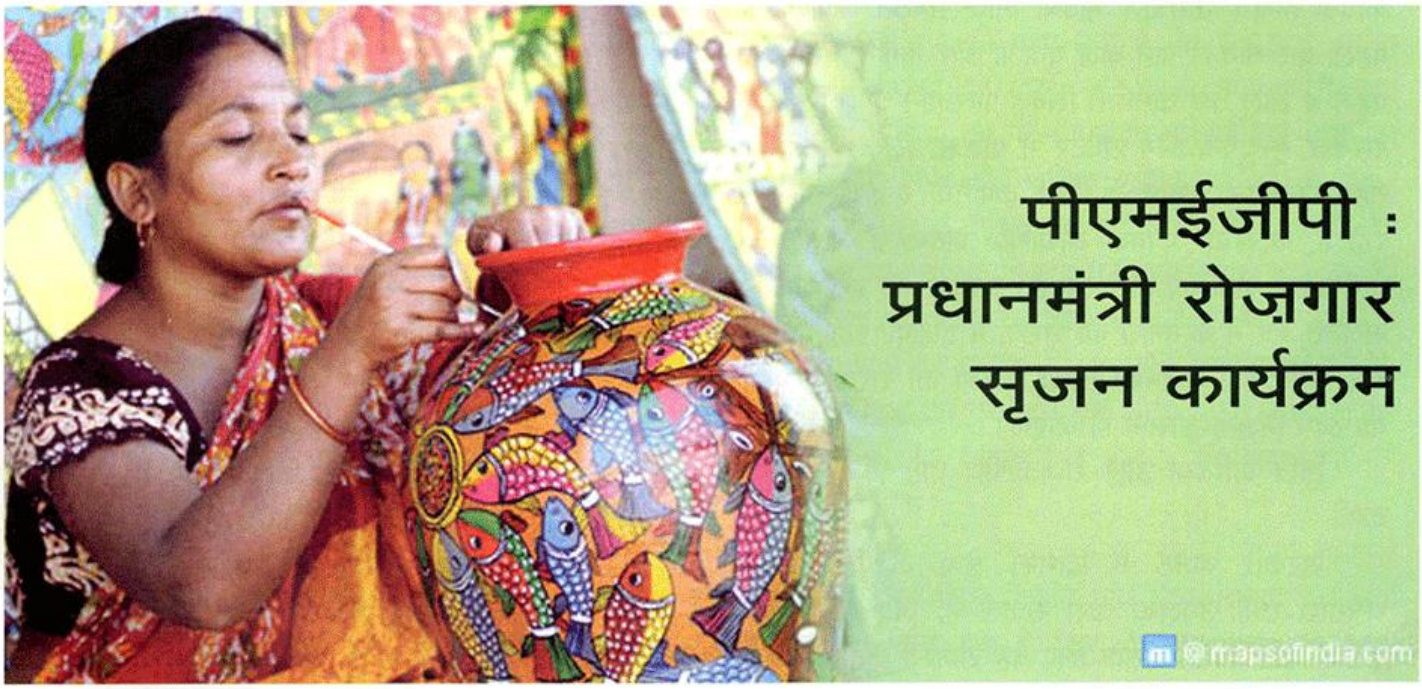

सरकार ने अगले 5 सालों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना बनाई है। इस दौरान उन्हें हर महीने 5,000 रुपये वज़ीफा दिया जाएगा। इस पहल से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के कामकाज को समझने और सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें रोज़गार पाने या स्वरोज़गार शुरू करने में मदद मिलेगी।

संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ाना

सरकार देगी संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को तीन किस्तों में 15,000 रुपये देगी। एक अनुमान के मुताबिक इस व्यवस्था से 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और कंपनियों दोनों को पहले 4 साल तक कर्मचारी लिंक्ड प्रोत्साहन देगा। फिलहाल सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम के तहत उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है, जिसका फायदा औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उनके कर्मचारियों दोनों को मिल रहा है। सरकार की इस पहल से संगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या में इज़ाफा होगा, जिससे लंबे समय में ज़्यादा-से-ज़्यादा युवाओं को सरकारी पहलों का लाभ मिलना आसान हो जाएगा।

कुल प्राप्तियां और राजकोषीय घाटे में अनुमानित कमी

सरकार बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धनराशि तभी उपलब्ध करा सकती है, जब उसके पास पर्याप्त प्राप्तियां हों। इसके लिए वह राजस्व जुटाती है और गैर-ज़रूरी मदों पर खर्च कम करने की कोशिश करती है। बजट में 43.86 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का अनुमान लगाया गया है, जिसमें आयकर से 11.87 लाख करोड़ रुपये, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 10.62 लाख करोड़ रुपये और निगम कर से 10.20 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए 16.91 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सरकार के पास कुल आरक्षित निधि 60.71 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।

भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 83 प्रतिशत यानी 161 लाख करोड़ रुपये उधार लिया है। हालांकि, यह प्रतिशत कई विकसित देशों से कम है, जैसे अमेरिका ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 121 प्रतिशत उधार लिया है, वहीं, जापान ने सकल घरेलू उत्पाद का 261 प्रतिशत और इंग्लैंड ने सकल घरेलू उत्पाद का 101 प्रतिशत ऋण लिया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सरकार की आर्थिक स्थिति मोटे तौर पर ठीक है और वह विकास सुनिश्चित करने के लिए खर्च करने में सक्षम है।

वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो 16.13 लाख करोड़ रुपये होगा, जबकि फरवरी 2024 में पेश किए गए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था और यह 16.85 लाख करोड़ रुपये था। उससे पहले, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जो 17.34 लाख करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार कुछ हद तक खर्च को नियंत्रित करने में सफल रही है।

कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान

कृषि क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 60,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित किए गए हैं। इस तरह कृषि केंद्रित 92,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके साथ ही, सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे प्रावधान भी किए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को संबल प्रदान करेंगे।

छह करोड़ किसानों और उनकी ज़मीन को भूमि रजिस्ट्री के दायरे में लाने की घोषणा की गई है। इसकी मदद से जीआईएस मैपिंग, डिजिटलीकरण, मालिकाना हक, किसानों का पंजीकरण और ज़मीन की पहचान का काम किया जाएगा। इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

जैव अनुसंधान के कई लाभ हैं जैसे इससे कीटनाशकों का उपयोग कम होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा, पशुओं के अपशिष्ट का उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जा सकेगा, आदि। इसलिए बजट में 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

अगले 2 साल में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती करेंगे, जिसकी ब्रांडिंग और प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। इस पहल को मूर्त रूप देने से लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि उर्वरकों में हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल से लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। प्राकृतिक खेती में सिंथेटिक रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे भोजन में पोषण अधिक होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सप्लाई चेन को मज़बूत करने के लिए खपत केंद्रों के पास बड़े क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे गाँवों में सब्जियों की बर्बादी रुकेगी और उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।

1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की शुरुआत की गई थी, ताकि किसान आसानी से बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीद सकें। इसके अलावा, ऋण आवश्यकताओं, निवेश और गैर-कृषि गतिविधियों को 2004 में इससे जोड़ा गया। इस योजना की बड़ी सफलता के कारण, 5 और राज्यों में व्यापक आधार पर केसीसी जारी किए जाएंगे, जहां यह अभी भी पात्र किसानों के बीच वितरित नहीं किए गए हैं, ताकि इस सुविधा से वंचित किसान इसका लाभ उठा सकें।

कृषि क्षेत्र में 3 साल के अंदर किसानों और उनकी जमीन को डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) लागू किया जाएगा। DPI एक फिज़िकल नेटवर्क बनाता है, जो लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए ज़रूरी है। केंद्र सरकार अभी इस कॉन्सेप्ट को राज्य सरकार के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चला रही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ज़मीनी-स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति से बैंकों के लिए सहकारी समितियों के साथ ऋण समझौते करने के अवसर बढ़ेंगे। ऐसे में बैंक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और कृषि स्टार्टअप के साथ समझौते करके कृषि ऋण के पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। इनके साथ समझौते या साझेदारी करके बैंक किसानों के नकदी प्रवाह को समझ सकेंगे। इससे किसान बागवानी और अन्य नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि अब भी भारतीय किसान पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं।

बजट में श्रमिकों की बेहतरी के लिए कई पहल की गई हैं, जिसके तहत श्रम पोर्टल को अन्य महत्वपूर्ण पोर्टलों से जोड़ने की योजना है। इसी क्रम में श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल में आमूलचूल परिवर्तन लाए जाएंगे, ताकि वे प्रभावी परिणाम दे सकें। सरकार की इस पहल से श्रमिकों को एक ही पोर्टल पर अपनी रोज़गार संबंधी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा।

एमएसएमई के माध्यम से रोज़गार सृजन

इस समय करीब 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां हैं, जो न सिर्फ जीडीपी में अहम योगदान दे रही हैं, बल्कि यह सेक्टर बड़ी आबादी को रोज़गार भी मुहैया करा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यह सेक्टर 11 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने में सफल रहा है।

एमएसएमई के महत्व को समझते हुए अब प्लांट और मशीनरी के लिए ऋण लेने वाले उद्यमियों को बिना किसी कोलैटरल और थर्ड पार्टी गारंटी के ऋण दिया जाएगा और इस सेक्टर को ऋण मिलना आसान बनाने के लिए बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एमएसएमई सेक्टर की ऋण ज़रूरतों का इन-हाउस आकलन कर उन्हें ऋण देने को कहा गया है। इस मामले में दूसरे तंत्रों या दूसरे संगठनों पर निर्भरता के कारण एमएसएमई सेक्टर को समय पर ऋण नहीं मिल पाता है। इस नए प्रावधान से ऋण वितरण में तेज़ी आएगी। इसी क्रम में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भी अगले 3 साल में अपनी शाखाओं का विस्तार करेगा ताकि एमएसएमई सेक्टर की ऋण ज़रूरतों को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

बजट में यह भी कहा गया है कि संकट के समय में भी एमएसएमई को दिया जाने वाला ऋण जारी रखा जाएगा, ताकि बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) न बढ़ें और साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी न रुकें। कोरोना महामारी के दौरान जब ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, तब सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को कई मामलों में राहत दी थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर एमएसएमई के लिए ई-कॉमर्स हब बनाया जाएगा, ताकि एमएसएमई सेक्टर विभिन्न उत्पादों का उत्पादन कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बेच सके और 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा को साकार कर सके।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 2015 में शुरू की गई थी, जिसे शिशु, किशोर और तरुण नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है; शिशु के तहत, 50,000 रुपये

तक का ऋण दिया जाता है, किशोर के तहत, 50,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जबकि तरुण के तहत, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। 23 जुलाई, 2024 को पेश किए गए बजट में, तरुण श्रेणी में ऋण की अधिकतम राशि को उन उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, जिन्होंने पहले लिया गया 10 लाख रुपये तक का ऋण निश्चित समय सीमा के भीतर चुका दिया था।

पिछले 8 सालों में शिशु श्रेणी में 33.54 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया है, जबकि किशोर श्रेणी में 5.89 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया है, जबकि तरुण श्रेणी में 81 लाख लोगों को ऋण दिया गया है। मुद्रा लोन कितने लोगों को रोज़गार मुहैया करा पाया है, इसके आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि असंगठित क्षेत्र में इस योजना की मदद से 30 करोड़ से ज़्यादा स्वरोज़गार सृजित हुए हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्र में विकास की निरंतरता को जारी रखने के लिए सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में लैंगिक एवं जातिगत असमानता को दूर करना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष प्रावधान के अलावा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यूरिया के लिए सब्सिडी का प्रावधान, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना आदि अनेक ऐसे प्रावधान हैं, जो ग्रामीण भारत में सतत विकास सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। ❑